संख्या–6 एस० एस०(6)33/2022– 4230/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 19/9 /2025.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 में प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा संचालित मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास की योजना को पूर्ण करने हेतु चतुर्थ किस्त की ₹ 9.465 करोड़ (नौ करोड़ छियालीस लाख पचास हजार) मात्र केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 6.3101 करोड़ (छः करोड़ इकतीस लाख एक हजार) मात्र राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 15.7751 करोड़ (पंद्रह करोड़ सतहत्तर लाख इक्यावन हजार) मात्र राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–2253, दिनांक–22.05.2025 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 में प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा संचालित मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास की योजना को पूर्ण करने हेतु चतुर्थ किस्त की ₹ 9.465 करोड़ (नौ करोड़ छियालीस लाख पचास हजार) मात्र केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 6.3101 करोड़ (छः करोड़ इकतीस लाख एक हजार) मात्र राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 15.7751 करोड़ (पंद्रह करोड़ सतहत्तर लाख इक्यावन हजार) मात्र राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–I एवं II संलग्न।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या–475, दिनांक–12.02.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में बिहार राज्य के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 में प्रशासनिक स्वीकृत) हेतु केन्द्र सरकार के केन्द्रांश ₹ 62.9427 करोड़ (बासठ करोड़ चौरान्बे लाख सत्ताईस हजार) तथा राज्यांश ₹ 41.9618 करोड़ (इकतालीस करोड़ छियानबे लाख अठारह हजार) अर्थात् कुल ₹ 104.9045 करोड़ (एक सौ चार करोड़ नब्बे लाख पैंतालीस हजार) मात्र की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं। तत्पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या–F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–27.09.2023 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में ₹ 15.7357 करोड़ (पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख सत्तावन हजार) मात्र विमुक्त केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 10.4905 करोड़

(दस करोड़ उनचास लाख पाँच हजार) मात्र राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹ 26.2229 करोड़ (छब्बीस करोड़ बाईस लाख उनतीस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना कार्यान्वित की गई। वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या–F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–13.12.2024 तथा F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–17.01.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त की विमुक्त ₹ 12.00 करोड़ (बारह करोड़) मात्र केन्द्रांश राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) तथा इसके समानुपातिक ₹ 8.00 करोड़ (आठ करोड़ मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 20.00 करोड़ (बीस करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या–F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–28.04.2025 के माध्यम से विमुक्त ₹ 10.20 करोड़ (दस करोड़ बीस लाख) मात्र केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 6.8001 करोड़ (छः करोड़ अस्सी लाख एक हजार) मात्र राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 17.0001 करोड़ (सतरह करोड़ एक हजार) मात्र राशि की लागत पर योजना स्वीकृत एवं कार्यान्वित है।

3. इसी क्रम में इसी वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011) दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु चतुर्थ किस्त की ₹ 9.465 करोड़ (नौ करोड़ छियालीस लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में एस०एन०ए०–स्पर्श प्रणाली में विमुक्त की गई है।

4. चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–ब०–1 5/बी०एस०जी०–57/25/410/वि०, दिनांक–12.06.2025 के द्वारा SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शामिल है) के सफल क्रियान्वयन से संबंधित निर्गत दिशा–निदेश के अनुसार "Component wise (General, SCSP & TSP) एक हीं HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।" साथ ही, उक्त व्यवस्था के आलोक में एक ही HoA से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु विपत्र (Bill) बनाने के लिए राज्यांश मद की सम्पूर्ण राशि को उसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में हस्तांतरित कर योजना का क्रियान्वयन किया जाना है" के आलोक में मत्स्य निदेशालय के आदेश संख्या–म०/यो०–23/2024–2997, दिनांक–28.07.2025 में निहित प्रावधान के तहत इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन निम्नरूपेण किया जाएगा–

बजट उपबंध –

(i) इस केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत लाभुक आधरित घटक के तहत् अन्य (सामान्य) श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिला लाभुकों के लिए अनुमान्य केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की अनुदान राशि का 60:40 अनुपात में विकलन मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0219 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड

02–2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(ii) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत् अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए अनुमान्य केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की अनुदान राशि का 60:40 अनुपात में विकलन–मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0201 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405007890201 के विषय शीर्ष–0201.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(iii) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत् अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए अनुमान्य केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की अनुदान राशि का 60:40 अनुपात में विकलन–मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0201 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई) विपत्र कोड 02–2405007960201 के विषय शीर्ष–0201.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

5. SNA SPARSH Module में केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का e-Payment–इस केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत लाभार्थियों को देय (अनुमान्य) राज्यांश राशि की सम्पूर्ण राशि को इसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश विपत्र कोड 02–2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.33.01 –सब्सिडी मद, विपत्र कोड 02–2405007890201 के विषय शीर्ष–0201.33.01 –सब्सिडी मद एवं विपत्र कोड 02–2405007960201 के विषय शीर्ष–0201.33.01 –सब्सिडी मद में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित राशि से क्रमशः अन्य (सामान्य) श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिला लाभुकों, अनुसूचित जातियों के लाभुकों एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए e-Payment हेतु विपत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है।

6. योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार ही अनुदान की राशि देय होगा। विभिन्न अवयवों की इकाई लागत तथा देय अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है जिसके अनुसार ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी अवयव की लागत योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होती है तो अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वयं स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जाएगा।

7. इस योजनान्तर्गत के सफल कार्यान्वयन हेतु मत्स्य निदेशालय के पत्रांक–म०यो०–17 / 2020–107, दिनांक 27 जनवरी, 2021, म०यो०–17 / 2020 (खंड–I)–1337, दिनांक–8 जुलाई, 2022, म०यो०–17 / 2020 (खंड–I)–527, दिनांक–30 मार्च, 2024 तथा म०यो०–17 / 2020 (खंड–I)–267, दिनांक–15 जनवरी, 2025 द्वारा निर्गत तथा भविष्य में निर्गत होने वाले क्रियान्वयन अनुदेश की अनुमान्यता होगी।

8. Department of Expenditure, PFMS Division, Ministry of Finance, Govt. Of India द्वारा "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber

of Reserve Bank of India (RBI) से सम्बन्धित निर्गत कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) F.No.-1(27)/PFMS/2020, दिनांक–13 जुलाई, 2023 तथा भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत करने वाले दिशा–निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी/व्यय किये जाने वाले राशि आच्छादित होगी।

9. इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि का प्रबंधन और व्यय प्रगतिशील तरीके से समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (Real Time System of Integrated Quick Transfers) ढांचे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पी०एफ०एम०एस०–एस०एन०ए० स्पर्श (Public Financial Management System-SNA SPARSH), राज्य आई०एफ०एम० आई०एस० (State Integrated Financial Management Information System) और भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के ई–कुबेर प्लेटफ़ॉर्म (e-kuber platform) शामिल होंगे।

10. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या–F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–09.09.2025 (अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न) के कंडिका–4 के अनुसार "The funds on category may change based on the actual requirment by the state on time to time and may incure expenditure of fund allocated in a year to another year irrespective of fund earmarked for 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, and 2024-25 for speedy implementation of ongoing Projects under PMMSY" की अनुमान्यता होगी।

11. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म०योजना–08/2021–313, दिनांक–02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनिकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval and Monitoring Committee) के अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।

12. इस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्य के ससमय उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा जिलों के मांग तथा उपलब्ध स्वीकृत राशि को दृष्टिपथ में रखते हुए जिलों को किस्तों में व्यय हेतु लिमिट राशि आवंटित किया जायेगा। लेकिन लिमिट राशि का आवंटन एवं व्यय योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रहेगा।

13. साथ ही, जिलों को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर–जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा। इस के लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

14. प्रस्तावित इस देयता (Liability) योजना का क्रियान्वयन तत्समय निर्गत राज्यादेश में निहित प्रावधान के तहत की जाएगी।

15. योजनान्तर्गत पूर्व में जिलों को संसूचित अवयवार, श्रेणीवार, जिलावार लक्ष्य की अनुमान्यता होगी।

16. इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

17. इस योजनान्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेन्सी (Implementing Agency) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र मत्स्य निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

18. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे। साथ ही, व्यय की गई राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

19. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।

20. यह स्कीम केन्द्र प्रायोजित चालू स्कीम है। इस स्कीम का लागत मूल्य रुपये 15.00 करोड़ से अधिक एवं 30.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)33/2022 के पृष्ठ–172/टि०, दिनांक–17.09.2025.

21. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)33/2022 के पृष्ठ–171/टि० तथा डायरी संख्या–490, दिनांक–12.09.2025.

22. वित्त विभाग के पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)33/2022–4230 /पटना–15, दिनांक–19/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)33/2022– 4230 /पटना–15, दिनांक–19/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)33/2022– 4230 /पटना–15, दिनांक–19/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित उपायुक्त, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)33/2022– 4230 /पटना–15, दिनांक–19/9/2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)33/2022– 4230 /पटना–15, दिनांक–19/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)33/2022– 4230 /पटना–15, दिनांक–19/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)33/2022– 4230 /पटना–15, दिनांक–19/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9/25

सरकार के अपर सचिव

(अनुलग्नक—I)

2025—26

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2023—24) के अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु के चतुर्थ किस्त PFMS linked SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से संचालित धनराशि के लिए वृहद, लघु एवं उप शीर्ष बजट विवरणी कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची तथा निकासी/व्यय हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6
(क)	मांग संख्या—02, मुख्य शीर्ष—2405—मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—101—अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष —0219—नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड—02.2405001010219 **(केन्द्रांश)**, पी०एफ०एम०एस० कोड— 3890 **(अन्य एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभुकों हेतु अनुदान क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत)**	0219—33.01 —सब्सिडी	1252.500	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/ सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार, (सभी)
(ख)	मांग संख्या—02, मुख्य शीर्ष—2405—मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—789 —अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष—0201—नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड—02.2405007890201 **(केन्द्रांश)**, **पी०एफ०एम०एस० कोड— 3890 (अनुसूचित जातियों के लाभुकों हेतु अनुदान 60 प्रतिशत)**	0201—33.01 —सब्सिडी	308.340		
(ग)	मांग संख्या—02, मुख्य शीर्ष—2405—मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—796 —जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष—0201—नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड—02.2405007960201 **(केन्द्रांश)**, पी०एफ०एम०एस० कोड— 3890 **(अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों हेतु अनुदान 60 प्रतिशत)**	0201—33.01 —सब्सिडी	16.670		
	कुल योग—(क)+(ख)+(ग) :—		1577.510		

(पंद्रह करोड़ सतहत्तर लाख इक्यावन हजार मात्र)।

सरकार के अवर सचिव

4230
19/9/25

अनुलग्नक : II

फाइल सं / F. No. j-117012/13/2020-Fy- (E-17011)
भारत सरकार / Government of India
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेरी मंत्रालय/
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries

चंद्रलोक भवन, पहली मंजिल/ Chanderlok Building, 1st Floor
36, जनपथ, नई दिल्ली/ 36, Janpath, New Delhi
दिनांक/Dated the 9th September, 2025

To

The Principal Secretary
Animal and Fisheries Resource Department,
Government of Bihar,
Vikas Bhawan, Bailey Road, Patna-800001

Sub: **Revised** Additional allocation of central fund to the Government of Bihar through SNA-SPARSH for development of fisheries in the State under the 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana(PMMSY): A scheme to bring about Blue Revolution through sustainable and responsibledevelopment of fisheries sector in the Country during the financial year 2025-26- reg

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President for allocation of central financial assistance of ₹ **20,00,00,000/- (Twenty crore only)** to the Government of Bihar during the financial year 2025-26 for development of fisheries in the State to cover for the General, Scheduled Caste and Scheduled Tribe beneficiaries under the 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY): A scheme to bring about Blue Revolution through sustainable and responsible development of fisheries sector in India'. The allocation of Rs. 2000.00 lakh shall be marked in PFMS. The earlier Mother sanction issued vide letter of even number dated 3rd September, 2025 may please be treated as **Null and void.**

2. The Administrative Approval for implementation of 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)' for 2025-26 has been notified vide this Ministry's letter No. J-01013/81/2024- Fy dated 31st March, 2025.

3. The Administrative Approval of Government of India to the various approved proposals of Government of Bihar for development of fisheries in the State under the PMMSY vis a vis corresponding amount of Mother Sanction is as under:

(Rs. In lakh)

Sl No.	Details of the Projects	TPC	Central Share	Mother sanction
1	Fishery Development Projects of FY 2020-21 dated 25-08-2020 and 11-03-2021	18333.00	5864.24	**543.00** [Gen-330.00+SC-182.00+ST-31.00]
2	Fishery Development Project under PMMSY of FY 2021-22 dated 30-09-2021	6766.50	2008.62	**254.00** [Gen-195.00+SC-51.00+ST-8.00]
3	Fishery Development Project of FY 2022-23 dated 11-08-2022	2780.00	809.592	**177.00** [Gen-153.00+SC-21.00+ST-3.00]
4	Fishery Development Project of FY 2023-24 dated 24-07-2023	21609.00	6294.27	**946.50** [Gen-751.50+SC-185.00+ST-10.00]
5	Fishery Development Project of FY 2024-25 dated 12-08-2024	503.00	155.64	**42.00** [Gen-29.00+SC-8.00+ST-5.00]
6	PMMSY- Addl Integrated Reservoir and Wholesale Market during 2024-25 dated 27-12-2024	2471.48	1482.88	Nil
7	DAJGUA 2024-25 dated 25.03.2025	138.00	75.00	37.50(ST)
	Total	**52600.98**	**16690.242**	**2000.00**

4230
19/9/25

उप आयुक्त(मा.) / ...ESH KUMAR
Deputy Commissioner(FY)
भारत सरकार/Govt. of India
मात्स्यिकी, पशुपालन एवं डेरी
Min of Fisheries...

4. The financial assistance to Department of Fisheries, Government of Bihar may be restricted to **Rs. 1458.5[illegible]** for General, **Rs. 447.00 lakh** for SCSP and **Rs. 94.50 lakh** for TSP beneficiaries respectively. The State Government may raise the demand on PFMS for development of various fisheries developmental projects under PMMSY. The funds on category may change based on the actual requirement by the state on time to time and may incur expenditure of fund allocated in a year to another year irrespective of fund earmarked for 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 and 2024-25 for speedy implementation of ongoing Projects under PMMSY.

5. The Government of Bihar shall ensure compliance of the terms and conditions stipulated in the approvals mentioned in para-2 to 4 above.

6. The allocation of central funds is subject to the following terms and conditions:

a) The sanction of aforementioned amount will be governed by the provisions of the General Financial Rules (GFR), 2017 as amended from time-to-time.

b) The Government of Bihar will furnish Utilization Certificate (UC) as per prescribed proforma under GFR-2017 in respect of the central grant released and utilized for implementation of the approved project.

c) The accounts regarding release of funds and their utilization shall be open to inspection by the Sanctioning Authority and Audit, both by the Comptroller & Auditor General of India and internal audit of the Principal Accounts Office of this Ministry.

7. The State Government will maintain the details of beneficiaries covered under the PMMSY indicating name, Aadhaar number and mobile number, account number, fund transferred etc., and furnish the same as and when required to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

8. The Government of Bihar will ensure to follow the norms of administrative approval at the time of implementation of the project and upload the list of beneficiaries (component-wise) on their website.

9. The Government of Bihar will ensure that the expenditure incurred on implementation of the approved project is strictly in accordance with the provisions of GFR 2017.

10. This sanction issues in exercise of the powers conferred on this Department in consultation with the Integrated Finance Division (IFD) vide their U.O No. 17011/AS&FA/2025 at Note ID#345 dated 01-09-2025.

Yours faithfully,

(Rakesh Kumar)
Deputy Commissioner (Fisheries)
Tele- 011-2371 2390

Copy to:

1. The Chief Executive, National Fisheries Development Board (NFDB), Fish Building, Near Pillar No. 235, P.V.N.R Express Way, National Police Academy Post, Rajendra Nagar, Hyderabad-500 052, (Fax No.040-24015552/ 24015568).
2. The Secretary, Planning Department, Government of Bihar, Secretariat, Patna- 80001.
3. The Secretary, Finance Department, Government of Bihar, Secretariat, Patna- 80001.
4. The Director of Fisheries, Government of Bihar, Directorate of Fisheries, Officer's Hostel, Block-A, Bailey Road, Patna-800 001.
5. The Accountant General, Patna, Bihar-800 001.
6. The Principal Accounts Officer, Department of Fisheries, MoFAHD, 1st Floor, Jeevantara Building, Parliament Street, New Delhi – 110011.
7. Integrated Finance Division, DoF, MoFAH&D, Krishi Bhavan, New Delhi-110001.
8. Fisheries Budget Section, DoF, MoFAH&D, Krishi Bhavan, New Delhi-110001.
9. Guard file.

(Rakesh Kumar)
Deputy Commissioner (Fisheries)
भारत सरकार/Govt. of India
मात्स्यिकी,पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
Min.of Fisheries,Animal Husbandry & Dairying
मत्स्य पालन विभाग/Department of Fisheries
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Krishi Bhawan, New Delhi-110001